**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1207**
**गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)**

**बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार की योजना**

**1207. श्री जोस के. मणि:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में युवा बेरोजगारी की वर्तमान दर के आंकड़ें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) ने पिछले चार वर्षों में एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में अधिक नौकरियां पैदा करने और बेरोजगारी के स्तर को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से कराये जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 10.0% थी।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) परीक्षा को आयोजित करने के लिए नए परीक्षा प्रणाली में उठते हुए मुद्दों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने हेतु केंद्रीय और राज्य सरकारों में तथा विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकारियों के द्वारा प्रक्रिया का अनुगमन करने वाले एक विस्तृत अध्ययन का आयोजन कर रही है, एन.आर.ए संलेख (Protocol) विकसित करने की प्रक्रिया में भी संल्गन है उन नीति ढांचा के उन विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है जो नए परीक्षा प्रणाली के साथ ही, सभी संबंधितों पक्षों द्वारा मानक और दिशानिदेशों को प्रभावित रूप से विकसित करने तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आयोजन से संबंधित है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों सहित देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****